न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 41/2022

अयूब पुत्र सिडसिड उर्फ रूस्तम जाति मेव निवासी ग्राम सटपुरा तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

2. असर खाँ
3. आमीन
4. जुहरू पिसरान सिडसिड उर्फ रूस्तम
5. महजूबन पुत्री मजीद
6. असगर पुत्र मजीद
7. सद्दाम हुसैन पुत्र मजीद
8. अल्ताफ पुत्र मजीद जाति मेव निवासी ग्राम सटपुरा तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील वादी

दिनांक :– 14/03/2022

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 126/0.31, 265/0.01, 300/0.11, 310/0.30, 468/0.28, बांके ग्राम सटपुडा तहसील पहाडी में स्थित है आराजी मुत0 के अन्य सहखातेदार वक्त दावा दायरी न्यायालय श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं आ सके इसलिए उन्हे मुकदमें में तरतीवी पक्षकार बनाया गया है जिनके हित व अधिकार वादी के हित व अधिकारो के समान है। खातेदार मजीद पुत्र सिडसिड उर्फ रूस्तम फौत हो चुका है इसलिए मुकदमें में उसके वारिसान को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जो वाद पत्र में तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 8 दर्ज है। आराजी पूर्व में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता व दादा सिडसिड उर्फ रूस्तम पुत्र माले खां की कब्जे काश्त की आराजी थी उसने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक खातेदार की हैसियत से काश्त की और उसके मरने के बाद वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2,3,4 ने तथा तरतीवी प्रतिवादी 5 लगायत 8 के पिता मजीद ने मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

काश्त की और पिता के मरने के बाद तरतीवी प्रतिवादी तथा वादी मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड कब्जे काश्त चले आ रहे है आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है। जो कि धारा 16 के तहत नहीं आती है। आराजी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व से ही वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान सिडसिड उर्फ रूस्तम की गैर मौरोसी का रकबा था जिसे कानूनन रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था लेकिन आज भी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन करा पाने के अधिकारी है। वादी को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी विवादित आराजी पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है ।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 17/02/22 को वादी के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण बुजुर्गान सिडसिड उर्फ रूस्तम गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे । अब वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है । मुताबिक कानून वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण बुजुर्गान के समय से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आराजी पर अपने को गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

.....वादी

3 :– दादरसी ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 अयूब , पी0डब्लू0 2 आमीन, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2017–20, 2023–26, 2029–31, 2037–40, 2042–45, 2046–49, 2050–53,

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

2054–57, 2058–61 एवं नकल खसरा गिरावरी सम्वत 2010–13, 2014–17, 2018–20, 2046–49, 2054–57, 2058–61, 2062–65, व मिलान क्षेत्रफल एवं नकल मृत्यु प्रमाण पत्र, सरपंच प्रमाण पत्र पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वकील वादीग ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता/दादा की आराजी है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2017–20 में आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान सिडसिड उर्फ रूस्तम पुत्र मालेखां की गैर मौरोसी की आराजी थी। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग सिडसिड उर्फ रूस्तम के गुजरने के बाद आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण ने वारिसान के रूप में काश्त की अब वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता/दादा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही गैर मौरोसी राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज है। आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण बुजुर्गान के समय से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आराजी पर अपने को गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर 126/0.31, 300/0.11, 310/0.30, 468/0.28, बांके ग्राम सटपुडा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/03/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner